उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2
संख्या- 1 /आई0/726958/2024/65-2002(099)/67/2019-21(बजट)/2015
लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के प्रकीर्ण संख्या-1275/65-2-2016-21(बजट)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा **"उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016"** प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु पात्रता की शर्तें, अनुदान की दर एवं अनुदान आदि का निर्धारण किया गया है। उक्त नियमावली के नियम-5 अनुदान की दर एवं नियम-8 उपकरणों का विवरण सम्बन्धी बिन्दु संख्या-8(vii) में संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2019/654/65-2-2019-21(बजट)/2015 दिनांक 28.02.2019 द्वारा किया गया है।

2. वर्तमान महंगाई एवं भारत सरकार की एडिप योजना की भाँति राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि की सीमा को बढ़ाये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियमावली के नियम-5 अनुदान की दर तथा नियमावली के नियम-8(vii) उपकरणों का विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं	नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	नियम-5 अनुदान की दर	(क) इस योजना के अन्तर्गत नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी अनुदान की वर्तमान सीमा रू0 8000/- से बढ़ाकर रू0 10000/- अनुमन्य होगी।	(क) इस योजना के अन्तर्गत नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी अनुदान की वर्तमान सीमा रू0 10000/- से बढ़ाकर रू0 15000/- अनुमन्य होगी।
		(ख) कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान नियमावली, 2016 के अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम अनुदान की सीमा रू0 10000/- से अधिक धनराशि के उपकरणों की दिव्यांगजन को आवश्यकता है, तो इस स्थिति में विभाग द्वारा उस लाभार्थी को अधिकतम अनुमन्य रू0 10000/- इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि अतिरिक्त धनराशि का वहन स्वयं संबंधित दिव्यांगजन के द्वारा किया जाये।	(ख) कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान नियमावली, 2016 के अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम अनुदान की सीमा रू0 15000/- से अधिक धनराशि के उपकरणों की दिव्यांगजन को आवश्यकता है, तो इस स्थिति में विभाग द्वारा उस लाभार्थी को अधिकतम अनुमन्य रू0 15000/- इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि अतिरिक्त धनराशि का वहन स्वयं संबंधित दिव्यांगजन के द्वारा किया जाये।
		(ग) प्रदेश के दिव्यांगजन के हितार्थ कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जाने वाली अनुदान की अधिकतम	(ग) प्रदेश के दिव्यांगजन के हितार्थ कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जाने वाली अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 15000/- के अन्तर्गत उसे आवश्यक एक से अधिक

CamScanner

		सीमा रू0 10000/- के अन्तर्गत उसे आवश्यक एक से अधिक उपकरण भी प्रदान किये जाने की अनुमन्यता की आवश्यकता है, जिससे कि दिव्यांगजन को आवश्यक सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग एक साथ उपलब्ध कराया जा सके।	उपकरण भी प्रदान किये जाने की अनुमन्यता की आवश्यकता है, जिससे कि दिव्यांगजन को आवश्यक सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग एक साथ उपलब्ध कराया जा सके।
2	**नियम-8 उपकरणों का विवरण बिन्दु संख्या-8 (vii)**	बहुविकलांगता की दशा में अथवा जिन नि:शक्तजन को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, उनके लिये एक बार में अधिकतम रू0 10000/- तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।	बहुविकलांगता की दशा में अथवा जिन नि:शक्तजन को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, उनके लिये एक बार में अधिकतम रू0 15000/- तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।

3. उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में उक्त संशोधन इस शर्त के साथ किया जाता है कि , उक्त वृद्धि के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की सीमा के अन्तर्गत ही रखा जायेगा।

4. उक्त संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा।

5 . उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

Signed by
Subhash Chand Sharma
(सुभाष चन्द शर्मा)
Date: 28-08-2024 12:06:34
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश ,प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक कोषागार ,उत्तर प्रदेश / समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी , उत्तर प्रदेश |
9. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3 ।
10. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4।
11. समाज कल्याण अनुभाग-2।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rakesh Kumar Yadav
(राकेश कुमार यादव)

CamScanner